



OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
SICKLE CELL INSTITUTE CHHATTISGARH, RAIPUR (ESTD. 2013)
(An Autonomous Institute of Govt. of Chhattisgarh), Reg.No. 4453

क्रमांक / 119.5/SCIC / स्थापना / 2022

रायपुर, दिनांक : 03/06/2022

// कार्यालयीन आदेश //

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रभार सौंपे जाते हैं-

प्रथम अपीलीय अधिकारी - डॉ. आशीष कुमार सिन्हा (डायरेक्टर मेडिकल)
जनसूचना अधिकारी - श्री प्रवीण कुमार देवांगन (मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर)

श्री चीमन लाल देवांगन, उच्च वर्ग लिपिक मूल कार्य के अतिरिक्त सूचना के अधिकार संबंधी कार्यों का भी संपादन करेंगे। डॉ. हृषीकेश मिश्रा, साईटिस्ट इन बॉयो., को सहायक जनसूचना अधिकारी के प्रभार से मुक्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(Signature)
03/06/2022

डायरेक्टर जनरल
सिकल सेल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 119.6 / SCIC / स्थापना / 2022

रायपुर, दिनांक : 03/06/2022

प्रतिलिपि:-

01. संचालक, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. डॉ. आशीष कुमार सिन्हा, डायरेक्टर मेडिकल की ओर सूचनार्थ एवं आदेश पालनार्थ।
03. डॉ. आदित्य नाथ झा, साईटिस्ट, तत्काल प्रभार सौंपकर कार्यालय को सूचित करें।
04. डॉ. हृषीकेश मिश्रा, साईटिस्ट इन बॉयो., तत्काल प्रभार सौंपकर कार्यालय को सूचित करें।
05. श्री प्रवीण कुमार देवांगन, एम.आर.ओ., स्थानीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आदेश पालनार्थ।
06. श्री चीमन लाल देवांगन, उच्च वर्ग लिपिक, प्रभार लेकर कार्यालय को सूचित करें।
07. श्री अरूण कुमार सिन्हा, तत्काल प्रभार सौंपकर कार्यालय को सूचित करें।
08. ऑफिस फाइल / नोटिस बोर्ड।

(Signature)
03/06/2022

डायरेक्टर जनरल
सिकल सेल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़,
रायपुर